राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ2(774)सू.प्रौ./संस्था/10/ जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर पद पर वेतन पी.बी.-3 (15600-39100) (ग्रेड पे-6600) में कार्यभार संभालने की तिथि से 6 माह अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये निम्नलिखित प्रोग्रामर्स को पूर्णतः अविलम्बनिय/अस्थाई आधार पर अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये रिक्त रखे गये 4 पदों के विरूद्ध एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता हैः-

1. श्री हरि मोहन गुप्ता
2. श्री मुकेश अरोरा
3. श्री शाहिद अहमद
4. श्री कैलाश चंद गुप्ता

उक्त पदोन्नतियां निम्न शर्तो पर की जा रही हैः-

1 उक्त पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई आधार प्रदत्त किये, दी जा रही है।

2 जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।

3 आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार का वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

4 पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5 आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।

6 आवश्यक पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

7 अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के पदो के विरूद्ध पदोन्नत कर्मचारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर अपने पूर्ववत पद पर नियमानुसार पदावनत कर दिये जावेंगे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी नीचे की श्रेणी (जिसमें पदोन्नति का होना विदित है) उनकी सेवा संवर्ग में उपलब्ध वरिष्तम व्यक्ति है, जो कि नियमित पदोन्नति के लिये राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत अधिकथित अर्हताएं और अनुभव रखते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थीयों को गत पांच वर्षो के दौरान कोई दण्ड अधिनिर्णित नहीं हुआ है और ज्येष्ठतम पात्र कर्मचारी है और इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचारधीन नहीं है।

उक्त पदोन्नतियां कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 1063/DOP/A2/10 दिनांक 30-7-2010 द्वारा प्राप्त सहमति से की गई है।

उक्त के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष ....।
6. संबंधित कर्मचारी ।
7. निजी / रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)